



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2346]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2019/आषाढ़ 27, 1941

No. 2346]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2019/ASHADHA 27, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2019

का.आ. 2576(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन किस्मों (वर्तमान किस्मों और कृषक किस्मों से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रजातियों को विनिर्दिष्ट करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 12 मई, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1536(अ), में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में कम संख्यांक 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित कम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“142.	मेलिया (मेलिया डबिया कै.)	मेलिया	मालाबार नीम”

[फा. सं.. 2-9/2008-एस.डी. V]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में संख्यांक का.आ. 1536(अ), तारीख 12 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात उसे का.आ. 3406(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2017, का.आ. 133(अ), तारीख 10 जनवरी, 2018, का.आ. 3396(अ), तारीख 11 जुलाई, 2018, और का.आ. 1020(अ), तारीख 25 फरवरी, 2019, द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2019

S.O. 2576(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 29 read with section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby specifies the following specie for the purpose of registration of varieties (other than extant varieties and farmers' varieties) under the said Act, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare), number S.O. 1536(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th May, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 141 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“142.	Melia (Melia <i>dubia</i> Cav.)	Melia	Malabar neem”.

[F. No. 2-9/2008-SD.V]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017 and subsequently amended *vide* S.O. 3406(E) dated 24th October, 2017, S.O. 133(E) dated 10th January, 2018, S.O. No. 3396(E) dated 11th July, 2018 and S.O. No. 1020(E) dated 25th February, 2019.